

राइट-टू-रपियर: यूरोपीय संघ

चर्चा में क्यों?

यूरोपीय संघ (EU) में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर या टेलीविज़न आदि बेचने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आगामी 10 वर्ष तक इन उपकरणों की मरम्मत की जा सके।

- 'राइट-टू-रपियर' के नाम से जाना जा रहा यह अधिकार मार्च 2021 से 27 राष्ट्रों में लागू हुआ है।

प्रमुख बडि

• परचिय

- 'राइट-टू-रपियर' एक ऐसे अधिकार अथवा कानून को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करने और उन्हें संशोधित करने की अनुमति देना है, जहाँ अन्यथा ऐसे उपकरणों के निर्माता उपभोक्ताओं को केवल उनके द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
- 'राइट-टू-रपियर' का विचार मूल रूप से अमेरिका से उत्पन्न हुआ था, जहाँ 'मोटर व्हीकल ओनर्स राइट टू रपियर एक्ट, 2012' किसी भी व्यक्ति को वाहनों की मरम्मत करने में सक्षम बनाने के लिये वाहन निर्माताओं को सभी आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।

• नए नयिम

- यूरोपीय संघ के नए नियमों के तहत निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कम-से-कम एक दशक तक किसी भी उपकरण के पार्ट्स उपलब्ध रहें, हालाँकि कुछ पार्ट्स केवल वशिष्ट पेशेवर कंपनियों को ही प्रदान किये जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका प्रयोग सही तरीके से हो।
- अब से नए उपकरणों को मरम्मत के लिये आवश्यक सूचनाओं और दस्तावेज़ों के साथ ही नरिमति किया जाएगा, साथ ही उन्हें इस लहजा से डिज़ाइन किया जाएगा कि उनकी मरम्मत करना संभव न हो और उन्हें आसानी से पारंपरिक साधनों का उपयोग करते हुए नष्ट किया जा सके, जिससे उपकरणों की रीसाइक्लिंग में सुधार होगा।

• यूरोप में ई-कचरा

- ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनीटर 2020 के अनुसार, यूरोपीय लोग प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति 16 किलोग्राम से अधिक ई-कचरे का उत्पादन करते हैं।
 - एशिया और अफ्रीका में यह क्रमशः 5.6 और 2.5 किलोग्राम है, जो कि सबसे कम है।
 - **ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनीटर:** यह यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी (UNU), इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) और इंटरनेशनल सोलडि वेस्ट एसोसिएशन (ISWA) द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग गठित ग्लोबल ई-वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप (GESP) के तहत एक गठबंधन है।
- इस ई-कचरे का लगभग आधा हिस्सा टूटे हुए घरेलू उपकरणों के कारण उत्पन्न होता है, और यूरोपीय संघ में इसमें से लगभग 40 प्रतिशत को ही रीसाइकल किया जाता है, जिसके कारण काफी अधिक मात्रा में खतरनाक ई-कचरा रीसाइकल होने से छूट जाता है।

• महत्त्व

- यह ई-कचरे की वशाल मात्रा को कम करने में मदद करेगा, जो कि महाद्वीप पर प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है।
- यह उपभोक्ताओं को पैसा बचाने में मदद करेगा।
- यह उपकरणों के जीवनकाल, रखरखाव, पुनः उपयोग, उन्नयन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार कर चक्रीय अर्थव्यवस्था के

उद्देश्यों में योगदान देगा।

◦ यह दो वनिरिमाण चुनौतियों से नपिटने में मदद करेगा:

- नथिोजति मूल्यहरास के परतुचित ध्यान न दया जाना।
- नरिमाता कंपनथिों द्वारा मरमत एवं रखरखाव नेटवरक को नथितरति करना।

• आधुनकि उपकरणों के साथ मरमत संबंधी समस्या

◦ वशिष उपकरणों की आवश्यकता

- आधुनकि उपकरणों को प्रायः इस प्रकार डज़ाइन कथिा जाता है कि उनहें खोलने अथवा मरमत करने के लथि वशिषिट उपकरणों की आवश्यकता होती है और ऐसे उपकरण न होने पर इनकी मरमत नहीं की जा सकती है।

◦ स्पेयर पार्टस की कमी

- स्पेयर पार्टस की कमी भी एक बड़ी समस्या है। कभी-कभी कसिी बड़ी मशीन के एक छोटे से टुकड़े को खोजना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

• वनिरिमाताओं से संबंधति चतिाएँ

- नरिमाताओं ने 'राइट-टू-रपियर' का वरिोध कथिा है, कथिोंकि इससे नए उत्पादों को अधकि मात्रा में बेचने की उनकी क्षमता परभावति होगी और वे उत्पाद नरिमाता के बजाय सेवा प्रदाता बनने के लथि मजबूर हो जाएंगे।
- नरिमाताओं का यह भी मत है कि उपभोक्ता को उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादों की मरमत करने की अनुमति देना एक जोखमिपूर्ण कार्य है, उदाहरण के लथि प्रायः कारों में लथियिम- आयन बैटरी का प्रयोग कथिा जाता है।

भारत में ई-कचरा

• आधिकारकि आँकड़े

- केंद्रीय प्रदूषण नथितरण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, भारत में वर्ष 2019-20 में 10 लाख टन से अधकि ई-कचरा उत्पन्न हुआ था। वर्ष 2017-18 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में ई-कचरे में 7 लाख टन की बढ़ोतरी हुई थी।

• भारत द्वारा कथिे गए प्रासा

◦ ई-कचरा प्रबंधन नथिम, 2016:

- इसका उद्देश्य ई-कचरे से उपयोगी सामग्री को अलग करना और/या उसे पुनः उपयोग के लथि सक्रम बनाना है, ताकि नपिटान के लथि खतरनाक कसिम के कचरे को कम कथिा जा सके और बजिली तथा इलेक्ट्रॉनकि उपकरणों का उचित प्रबंधन सुनश्चित कथिा जा सके।

◦ ई-कचरा क्लनिकि:

- यह ई-कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और नपिटान से संबंधति है।

ई-वेस्ट:

- ई-वेस्ट इलेक्ट्रॉनकि-अपशिषिट का संक्षपित रूप है और इस शब्द का उपयोग पुराने, समाप्त या खारजि इलेक्ट्रॉनकि उपकरणों के संदर्भ में कथिा जाता है। इसमें उनके घटक, उपभोग्य वस्तुएँ, उनके भाग
- और स्पेयर शामिल हैं।
- इसे दो व्यापक श्रेणथिों के तहत 21 प्रकारों में वर्गीकृत कथिा गया है:
 - सूचना प्रौद्योगिकी और संचार उपकरण।
 - उपभोक्ता वदियुत और इलेक्ट्रॉनकि।
- ई-कचरे में उनके घटक, उपभोग्य वस्तुएँ और पुरजे आदा शामिल होते हैं।

आगे की राह

इस तरह के नथिम भारत जैसे देश में वशिष तौर पर महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं, जहाँ सेवा प्रदाताओं पर प्रायः सही ढंग से कार्य न करने का आरोप लगाया जाता है और अधकित कार्यशालाएँ कुछ ही कषेत्रों में मौजूद हैं। यदि भारत में इस तरह के कानून को अपनाया जाता है तो देश में मरमत और रखरखाव सेवाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार कथिा जा सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/right-to-repair-european-union>

